



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1983 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / E-MBA(Infra)

दिनांक : 21.11.2024

विषय :- दो वर्षीय E-MBA (Distance Learning) in "Infrastructure Management Programme" के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्रांक 1839/HR&Admn./PTCUL/H-8/E-MBA दिनांक 21.10.20224 एवं पत्रांक 1920 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / E-MBA (Infra) दिनांक 05.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा UPES के माध्यम से दो वर्षीय E-MBA (Distance Learning) in "Infrastructure Management Programme" हेतु दिनांक 28.10.2024 तक आवेदन मांगे गये थे, जिसे पुनः दिनांक 14.11.2024 तक विस्तारित किया गया था।

इस सम्बन्ध में UPES के माध्यम से दो वर्षीय E-MBA (Distance Learning) in "Infrastructure Management Programme" हेतु निर्धारित तिथि तक वांछित आवेदन प्राप्त न होने को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन की तिथि दिनांक 27.11.2024 तक विस्तारित की जाती है। पत्र संख्या 1839/HR&Admn./PTCUL/H-8/E-MBA दिनांक 21.10.20224 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि वांछित अर्हता पूर्ण कर रहे इच्छुक अधिकारियों के आवेदन दिनांक 27.11.2024 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ए०के० जुयाल)

महाप्रबन्धक (मा०सं०) (औ०)

पत्रांक : / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / E-MBA(Infra) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री आपरेटर-निदेशक (मा०सं०)/निदेशक (परिचालन)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०-द्वितीय), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को कारपोरेशन की बैवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(ए०के० जुयाल)

महाप्रबन्धक (मा०सं०) (औ०)